



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026

माघ 10, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या 43/दो-4-2026-02-4003(002)/1-2025

लखनऊ, 30 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-11

संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2026" कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "नियमावली" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001" से है।

परिभाषा

नियम 11 का
संशोधन

3-उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

11-शैक्षिक अर्हता- सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को-

(क) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है; अथवा

(ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता या इंग्लैण्ड या नादर्न आयरलैंड का कोई बैरिस्टर या स्काटलैण्ड में अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य और वह न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है;

(ग) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

11-शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएँ-सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को-

(क) भारतीय नागरिक होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए भारत में मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना चाहिए;

(ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नामांकित अधिवक्ता होना चाहिए और उसे न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है;

(ग) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख तक कम से कम तीन वर्ष का विधि व्यवसाय हो या ऐसा अनुभव हो जैसा कि इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विधि द्वारा विहित किया जा सकता है।

(एक) विधि व्यवसाय की गणना सम्बंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) के साथ अनंतिम नामांकन/रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जायेगी।

(दो) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने पक्ष में व्यवसाय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि वह ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति से जैसाकि समय-समय पर अधिसूचित की जाय विधिज्ञ (बार), में नियमित रूप से व्यवसाय कर रहा है या रही है।

(घ) देवनागरी लिपि में हिन्दी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

4-उक्त नियमावली में, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम (1) रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

नियम 22 के उपनियम (1) का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

22-प्रशिक्षण-

(1) सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्ति प्रत्येक अधिकारी से परिवीक्षा अवधि के दौरान न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ या अन्यत्र ऐसी अवधि के लिए जैसी न्यायालय द्वारा समय-समय पर विहित की जाय, प्रशिक्षण पर जाने की अपेक्षा की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

22-प्रशिक्षण-

(1) सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्ति प्रत्येक अधिकारी को नियमित न्यायालयीय कर्तव्यों (कोर्ट ड्यूटी) को ग्रहण करने से पूर्व परिवीक्षा अवधि के दौरान न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ या अन्यत्र या ऐसी विस्तारित अवधि जैसा कि न्यायालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, से न्यूनतम एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

नियम 27 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

22-पदोन्नति-

(1) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग में उस संवर्ग में विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति न्यायालय द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) संवर्ग के सेवा के सदस्यों में से की जायेगी।

(2) न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों/सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पर विचार करने के लिए न्यायालय के तीन कार्यरत माननीय न्यायाधीशों की एक चयन समिति नियुक्त करेंगे।

(3) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता सहयोग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी।

(4) पदोन्नति के लिए पात्रता का क्षेत्र, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का चार गुना तक सीमित होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

27-ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति-

(1) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के संवर्गों की पदोन्नति, उन संवर्ग में विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय द्वारा सेवा के उन सदस्यों, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के संवर्ग में पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, में से की जायेगी।

(2) न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों/सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पर विचार करने हेतु न्यायालय के तीन माननीय आसीन न्यायाधीशों की एक चयन समिति नियुक्त करेंगे।

(3) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति, इस नियमावली के नियम 8 के अधीन दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के नियम के अधीन, योग्यता-सह-ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी।

(4) पदोन्नति के लिए पात्रता का क्षेत्र, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के दो गुना तक सीमित होगा और तदनुसार एक सूची तैयार की जायेगी।

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

(5) चयन समिति, उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित अधिकारियों के अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् एक सूची तैयार करेगी, जो उसकी राय में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग में पदोन्नति किये जाने के लिए उपयुक्त हो, अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण चयन समिति द्वारा उनके सेवा अभिलेख योग्यता, चरित्र और ज्येष्ठता पर सम्यक ध्यान रखते हुए किया जायेगा सूची में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या के दो गुना अधिकारियों के नाम सूची में समाविष्ट होंगे।

(6) चयन समिति इस नियम के उपनियम (4) के अधीन तैयार की गई सूची मुख्य न्यायाधीश को उन अधिकारियों के नामों के साथ जो समिति की राय में सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाये गये हो, अग्रसारित करेंगी।

(7) न्यायालय चयन समिति की सिफारिश का परीक्षण करेगा और पदोन्नति के लिए एक अन्तिम चयन करेगा और पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगा और रिक्तियों में पदोन्नति सर्वथा उक्त सूची के अनुसार की जायेगी। सूची समस्त अभ्यर्थियों के पदोन्नति होने तक या सूची निःशेष होने तक प्रवर्तन में रहेगी।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(5) चयन समिति उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित अधिकारियों के अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् उन अधिकारियों की सूची तैयार करेगी, जो उसकी राय में अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग में पदोन्नत होने के योग्य हैं।

(6) हटा दिया गया।

(7) हटा दिया गया।

नया नियम
27-क का बढ़ाया
जाना

6-उक्त नियमावली में, नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 27-क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

27-क-परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति:

(1) नियम 27 में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग में 10 प्रतिशत पद सिविल जज (जूनियर डिवीजन) से परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से पदोन्नति के लिए आरक्षित होंगे, जिनके पास अन्यून तीन वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा हो, उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जो नियम 27(5) के अधीन अयोग्य पाए गए हों और जिन्हें कोई दंड अधिनिर्णित किया गया हो या जिनकी सत्यनिष्ठा/चरित्र उस अवधि के दौरान प्रमाणित नहीं किया गया है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोटा, प्रत्येक भर्ती में, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अधिसूचित रिक्तियों के 10 प्रतिशत पदों को भरकर पूरा किया जाएगा।

(3) परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन जिला न्यायाधीशों के माध्यम से न्यायालय द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, जो प्रत्येक अभ्यर्थी के चरित्र के अपने स्वयं के प्राक्कलन के साथ न्यायालय को उसी रूप में अग्रेषित करेगा।

(4) नियम 27 में निर्दिष्ट चयन समिति प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगी और एक पात्रता सूची तैयार करेगी तथा चयन समिति द्वारा अधिसूचित पाठ्यक्रम के अनुसार, एक परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगी।

(5) चयन समिति परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त योग्यता के क्रम में अंतिम चयन सूची तैयार करेगी।

7-उक्त नियमावली में, नियम 27-क के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 27-ख बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

नया नियम
27-ख का
बढ़ाया जाना

27-ख-(1) चयन समिति, पोषक संवर्ग में उनकी परस्पर ज्येष्ठता को बनाए रखते हुए, नियम 27 और नियम 27-क के अधीन तैयार की गई सूची से एक संयुक्त चयन सूची तैयार करेगी।

(2) न्यायालय चयन समिति की सिफारिशों का परीक्षण करेगा और सफल अभ्यर्थियों की सूची अधिसूचित करेगा।

(3) किसी दिये गये पदोन्नति चक्र में परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आरक्षित कोई रिक्ति न भरी गयी हो, तो उसे उसी वर्ष में नियम 27 (5) के अधीन तैयार की गयी सूची से नियमित पदोन्नति के माध्यम से या न्यायालय द्वारा अधिसूचित रीति से भरा जाएगा।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 43/Two-4-2026-02-4003(002)-1-2025, dated January 30, 2026:

No. 43/Two-4-2026-02-4003(002)-1-2025

Dated Lucknow, January 30, 2026

IN exercise of the powers conferred by the Article 234 and the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor in consultation with the Uttar Pradesh Public Service Commission and the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001:-

THE UTTAR PRADESH JUDICIAL SERVICE
(SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2026

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Judicial Service (Seventh Amendment) Rules, 2026". Short title and commencement
- (2) They shall come into force at once.
2. In these rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the "The Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001". Definition

Amendment of
Rule 11

3. In the Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001, hereinafter referred to as the said rules *for* existing Rule 11 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-1

(Existing rule)

11. Academic Qualifications- A candidate for direct recruitment to the service:—

(a) must be a bachelor of laws of a University established by law in Uttar Pradesh or any other University of India recognised for this purpose by the Governor; or

(b) must be an advocate enrolled under the provisions of the Advocates Act, 1961 or a Barrister of England or Northern Ireland or a member Faculty of Advocates in Scotland and is entitled to practice in the court or courts subordinate thereto;

(c) must possess a through knowledge of Hindi in Devnagri Script.

COLUMN-2

(Rule as hereby substituted)

11. Academic and Professional Qualifications- A candidate for direct recruitment to the service:—

(a) must be an Indian National and must be a Bachelor of Laws from a University established by law in Uttar Pradesh or any other University in India recognised for this purpose by the Governor;

(b) must be an advocate enrolled under the provisions of the Advocates Act, 1961 and is entitled to practice in the court or courts subordinate thereto;

(c) have at least three years of legal practice on the date of publication of the advertisement or such experience as maybe prescribed by law, from time to time. For the purposes of this clause:

(i) legal practice shall be reckoned from the date of provisional enrollment/registration with the concerned State Bar Council;

(ii) every candidate shall be required to produce a certificate of practice in his or her favour, certifying that he or she has been in regular practice at the Bar by such authority and manner as may be notified from time to time;

(d) must possess thorough knowledge of Hindi in Devanagari Script.

Amendment of
sub-rule(1) of
Rule 22

4. In the said rules, in Rule 22 *for* existing sub-rule (1) as set out in Column-1 below, the sub-rule (1) as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-1

(Existing sub-rule)

22. Training :—

(1) Every officer appointed to the service as Civil Judge (Junior Division) shall be required to undergo training during the period of probation at the Judicial Training and Research Institute, Lucknow or elsewhere for such period as may be prescribed by the Court from time to time.

COLUMN-2

(Sub-rule as hereby substituted)

22. Training:—

(1) Every officer appointed to the service as Civil Judge (Junior Division) shall be required to undergo training during the period of probation at the Judicial Training and Research Institute, Lucknow or elsewhere for minimum of one year before assuming regular court duties or such extended period as may be notified by the Court from time to time.

5. IN the said rules, Rule 27 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

Amendment of
Rule 27

COLUMN-1

(Existing rule)

27. Promotion:—

(1) Promotion to the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be made by the Court from amongst the members of the service in the cadre of Civil Judge (Junior Division), keeping in view the existing vacancies in that cadre.

(2) The Chief Justice of the Court shall appoint a selection committee of three Honourable sitting Judges of the Court to consider the Officers/Civil Judge (Junior Division) eligible for promotion as Civil Judge (Senior Division).

(3) The promotion to the post of Civil Judge (Senior Division) shall be made by selection on the basis of seniority-cum-merit.

(4) The field of eligibility for promotion shall be confined to four times the number of vacancies to be filled in by promotion.

(5) The selection committee shall after examining the records of the officers included in the list referred to in sub-rule (4) prepare a list, who, in its opinion, are fit to be promoted in the cadre of Civil Judge (Senior Division). In Assessing the merit of the candidates, the selection committee shall have due regard to his service record, ability, character and seniority. The list shall contain the names of officers twice the number of vacancies required to be filled by promotion from the members of the Civil Judge (Junior Division).

(6) The selection committee shall forward the list prepared under sub-rule (4) of this rule to the Chief Justice alongwith the names of officers who, in the opinion of the Committee, has been passed over by promotion to the service.

(7) The Court shall examine the recommendation of the selection committee and make a final selection for promotion and prepare a list in order of seniority of candidates, who are considered fit for promotion and the promotion shall be made in the vacancies strictly in accordance with the said list. The list shall remain operative till all the candidates are promoted and the list is exhausted.

COLUMN-2

(Rule as hereby substituted)

27. Promotion on the basis of seniority-cum-merit: -

(1) Promotion to the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be made by the Court from amongst the members of the service who have completed five years satisfactory service in the cadre of Civil Judge (Junior Division), keeping in view the existing vacancies in that cadre.

(2) The Chief Justice of the Court shall appoint a Selection Committee of three Honourable sitting Judges of the Court to consider the Officers/Civil Judge (Junior Division) eligible for promotion as Civil Judge (Senior Division).

(3) The promotion to the post of Civil Judge (Senior Division) shall be made by selection on the basis of merit-cum-seniority subject to the rule of reservation for persons with disabilities under Rule 8 of these Rules.

(4) The field of eligibility for promotion shall be confined to two times the number of vacancies to be filled in by promotion, and a list shall be prepared accordingly.

(5) The Selection Committee shall after examining the records of the officers included in the list referred to in sub-rule (4) prepare a list of officers, who, in its opinion, are fit to be promoted in the cadre of Civil Judge (Senior Division) equal to the number of total vacancies notified.

(6) Deleted.

(7) Deleted.

Insertion of
new Rule 27-A

6. In the said rules, *after* Rule 27 the following new Rule 27-A shall be *inserted*, namely:—

27-A. Promotion strictly on the basis of merit through a Limited Departmental Competitive Examination (LDCE):

(1) Notwithstanding anything contained in Rule 27, 10% of the posts in the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be reserved for promotion through a Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) from Civil Judge (Junior Division) having not less than three years continuous satisfactory service, excluding candidates who are not found fit under rule 27(5) and who have been awarded any punishment or whose integrity/character has not been certified during that period.

(2) The quota referred in sub-rule (1) shall be achieved by filling 10% of notified vacancies of Civil Judge (Senior Division), in every recruitment.

(3) Applications for Limited Departmental Competitive Examination shall be invited by the Court through District Judges who shall forward the same to the Court along with his own estimate of each candidate's character.

(4) The Selection Committee referred to in Rule 27 shall scrutinize the applications received and prepare an eligibility list and hold a Limited Departmental Competitive Examination, as per the syllabus notified by the Selection Committee.

(5) The Selection Committee shall prepare a final select list in order of merit secured in Limited Departmental Competitive Examination.

Insertion of
new Rule 27-B

7. In the said rules, *after* Rule 27-A the following new Rule 27-B shall be *inserted*, namely:—

27-B. (1) The Selection Committee shall prepare a combined select list from the list prepared under Rule 27 and Rule 27-A preserving their *inter se* seniority in the feeder cadre.

(2) The Court shall examine the recommendations of the Selection Committee and notify the list of successful candidates.

(3) Any vacancy reserved for Limited Departmental Competitive Examination remains unfilled in a given promotion cycle, the same shall be filled in the same year through regular promotion from the list prepared under Rule 27(5) or in such manner as notified by the Court.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.